मधुबनी

बिहार सरकार

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
पश्चिमी कोशी नहर प्रमंडल राजनगर।

Email ID :- eerajnagar1@gmail.com

भाड़े पर वाहन लेने हेतु अतिअल्पकालीन कोटेशन आमंत्रण सूचना संख्या (NIQ)–01/2026–27

पत्रांक ..../ राजनगर , दिनांक ..../05/2026

पश्चिमी कोशी नहर प्रमंडल, राजनगर के अन्तर्गत प्रमण्डलाधीन योजनाओं के गहन अनुश्रवण, नहरों के निरीक्षण एवं उच्चधिकारीयों की बैठक में भाग लेने एवं खरीफ अवधि हेतु अवर प्रमंडल पदाधिकारीयों के उपयोगनार्थ भाड़े पर एक अदद बोलेरों के लिए निम्नाकिंत शर्तों के अधीन इच्छुक वाहन मालिकों/फार्म से अल्पकालीन कोटेशन आमंत्रित किया जाता है, जिसे मुहरबंद लिफाफे में दिनांक–26.05.2026 को अपराह्न 03:00 बजे तक पश्चिमी कोशी नहर प्रमंडल, राजनगर कार्यालय में जमा किया जायेगा और उसी दिन 03:30 बजे अपराह्न में खोला जाएगा। कोटेशनदाता या उनके प्राधिकृत कोटेशन खुलने के समय उपस्थित रहेंगें।

कोटेशन आमंत्रित सूचना निर्गत करने की तिथि	:–	दिनांकः–16.05.2026
➢ कोटेशन जमा करने की तिथि	:–	दिनांकः–27.05.2026 को 03:00 बजे अपराह्न तक।
कोटेशन जमा करने का स्थान	:–	कार्यपालक अभियंता, पश्चिमी कोशी नहर प्रमण्डल, राजनगर।
➢ कोटेशन खोलने की तिथि एवं समय	:–	दिनांकः–27.05.2026 को 03:30 बजे अपराह्न तक।
➢ विज्ञापनदाता का पदनाम एवं पता	:–	कार्यपालक अभियंता, पश्चिमी कोशी नहर प्रमण्डल, राजनगर।

नियम एवं शर्ते निम्नवत् हैः–

1. वाहन 01 जून 2026 से अक्टूबर 2026 तक भाडे पर रखने के लिए एकरारनामा किया जायेगा तथा एकरारित अवधि के दौरान वाहन का उपयोग वाहन मालिक/वाहन आपूर्तिकर्त्ताओं के द्वारा किसी निजी कार्य या व्यवसायिक कार्य में नहीं किया जायेगा।
2. वाहन का मॉडल 2016 के पूर्व का नहीं होना चाहिये एवं अच्छे हालत में होना चाहिए।
3. वाहन का दैनिक रख–रखाव (चालक सहित) एवं उसके सभी प्रकार के मरम्मति, तौलिया उपलब्ध कराना एवं इसकी सप्ताहिक सफाई आदि पर होने वाले व्यय वाहन मालिक/फर्म के द्वारा ही किया जायेगा।
4. सभी प्रकार के करों एवं अन्य शुल्क आदेयता की जिम्मेदारी वाहन मालिक की होगी।
5. वाहन का वैध निबंधन (वाणिज्य निबंधन) पत्र, बीमा, रोड टैक्स, पैन कार्ड, प्रदूषण प्रमाण पत्र, एवं अन्य दस्तावेज मोटरयान अधिनियम के अनुसार अद्यतन होना चाहिए।
6. वाहन चालक के पास अद्यतन एवं वैद्य ड्राईविंग लाईसेन्स होना चाहिए।
7. वाहन की चोरी या दुर्घटना अथवा अन्य क्षति होने पर चालक सहित जिम्मेदारी वाहन मालिक/फर्म का होगा।
8. वाहन के उपयोग के विरूद्ध किराया प्रतिमाह ईंधन सहित देय होगा।
9. वाहन के उपयोग के लिए लॉगबुक का संधारण वाहन मालिक की जबाव देही होगी जिसका उपयोग करने वाले पदाधिकारी यात्रा प्रयोग संबंधी आवश्यक प्रविष्टि करेंगे, जिसके आधार पर भुगतान किया जायेगा।
10. वाहन का किराया मासिक न्यूनतम दर जिला पदाधिकारी, मधुबनी के पत्रांक–171 दिनांक–01.04.2023 द्वारा निर्धारित प्रतिमाह कि दर से 1200 कि0मी0 है तथा 1200 कि0मी0 से अधिक परिचालन होने पर ईधन का खर्च प्रति लीटर 10 कि0मी0 की दर से किया जायेगा के बराबर या आपके द्वारा उद्धृत दर में से न्यूनतम दर स्वीकार होगा तथा भुगतान विभाग से आवंटन प्राप्त होने के पश्चात किया जायेगा।
11. वाहन का ईंधन सहित (चालक सहित) प्रतिमाह का न्यूनतम दर के कोटेशन दाता के साथ एकरारनामा किया जायेगा और उन्हें वाहन उपलब्ध कराने का आदेश दिया जायेगा। सेवा संतोष जनक नहीं होने पर अथवा वाहन की आवश्यकता नहीं रहने पर कभी भी बिना नोटिस के एकरारनामा समाप्त किया जा सकता है। एकरारनामा 1000 (एक हंजार) के स्टाम्प पेपर पर किया जायेगा।

12. वाहन का माईलेज वास्तविक रूप से डाले गये डीजल अथवा 10 कि0मी0 प्रति लिटर में से जो अधिक हो मान्य होगा।

13. वाहन उपयोग हेतु 24 घंटे संबंधित पदाधिकारियों के नियंत्रण में रहेगा एवं किसी भी परिस्थिति में बिना अनुमति के कार्यालय परिसर से बाहर नहीं जायेगा। वाहन खराब होने पर वाहन मालिक/फर्म का दायित्व होगा कि वे तुरंत दुसरा वाहन उपलब्ध करायेंगे, अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो उस दिन का भाड़े का भुगतान दो गुने दर से कटौती कर ली जायेगी।

14. संबंधित मद में आवंटन उपलब्ध होने पर नियमानुसार सभी करों की कटौती के पश्चात् भुगतान की जायेगी।

15. कोटेशन कभी भी बिना कारण बताए अधोहस्ताक्षरी द्वारा रदद् करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा। इच्छुक वाहन मालिक/वाहन आपूर्तिकर्त्ता उक्त क्रमांक 01 से 15 तक के शर्तो को स्वीकार करने से संबंधित अपना शपथ पत्र (नॉटरी द्वारा निर्गत) एवं कमांक 05 एवं 06 से संबंधित कागजात की सत्यापित प्रति के साथ अपना कोटेशन दिनांक 27.05.2026 तक कार्य अवधि में अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में बंद लिफाफा में 3:00 बजे अपराह्न तक समर्पित करेगें, जिसे दिनांक 27.05.2026 के 3:30 बजे अपराह्न कार्यपालक अभियंता, पश्चिमी कोशी नहर प्रमंडल, राजनगर के कार्यालय में खोला जायेगा। वाहन मालिक/वाहन आपूर्तिकर्त्ता या उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि कोटेशन खोलने के समय उपस्थित रहेंगे। सभी वांछित कागजात सही पाये जाने पर एवं एक से ज्यादा समान न्यूनतम दर के कोटेशन प्राप्त होने पर वैध कोटेशन दाता के बीच लॉटरी के माध्यम से वाहन मालिक/वाहन आपूर्तिकर्त्ताओं का चयन किया जायेगा, जिसकी सूचना (लॉटरी की तिथि) आपूर्तिकर्त्ताओं को उनके द्वारा उपलब्ध कराये गये Whatsapp Number/Email के माध्यम से दी जाएगी। वाहन मालिक/वाहन आपूर्तिकर्त्ता या उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि लॉटरी के समय उपस्थित रहेगे अन्यथा उनकी या उनके प्रतिनिधि की उपस्थिति बिना भी लॉटरी किया जायेगा तथा इस संबंध में कोई दावा मान्य नहीं होगा। कोटेशन के साथ क्रमांक 05 एवं 06 के कागजात एवं शपथपत्र नहीं रहने पर इसे अमान्य कर दिया जायेगा। विशेष जानकारी कार्यालय में संपर्क कर अथवा कार्यालय सूचना पट के माध्यम से प्राप्त की जा सकती हैं।

16. कोटेशनदाताओं को वित्तीय दर निम्न प्रपत्र में देना होगा।

कम संख्या	वाहन का प्रकार	ईंधन सहित मासिक भाड़ा

ह0/-

कार्यपालक अभियंता
पश्चिमी कोशी नहर प्रमण्डल, राजनगर।

पत्रांक 548/ राजनगर, दिनांक 16/05/2026

प्रतिलिपिः– सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं हिन्दी में एक प्रति (सॉफ्ट तथा हार्ड प्रतियों में) विभागीय वेबसाईट पर डालने हेतु तथा कम से कम दो लोकप्रिय दैनिक समाचार पत्रों में (हिन्दी संस्करण) में प्रकाशन हेतु समर्पित किया जाता है।

16/5/26

कार्यपालक अभियंता
पश्चिमी कोशी नहर प्रमण्डल, राजनगर

16/05/26